न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: चन्द्रशेखर (तहसीलदार)
मिसल नं. ::: 31/2024

सरकार बनाम गुरूदयाल पुत्र सागरमल, जाति–मेघवाल, निवासी– ढ़ाणी ब्राम्हण

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 12.07.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल गुरूदयाल पुत्र सागरमल, जाति–मेघवाल, निवासी–ढ़ाणी ब्राम्हण द्वारा रोही मौजा ढ़ाणी ब्राम्हमण की राजकीय भूमि ख.नं. 99 कुल रकबा 0.28 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है0 भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 16.08.2023 को गैर सायल को अतिक्रमी मानते हेतु निर्णय बेदखली का पारित कर दिया गया। उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं में अपील संख्या 60/2023 दर्ज हुई। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 03.01.2024 को पारित किया गया। उक्त निर्णय में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जकार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2023 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में मौके पर नपती करवाये यदि नपती के बाद अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है तो उसके द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाया जावें। उक्त निर्णय की पालना में प्रकरण को पुनः मु.नं. 31/2024 दर्ज रजिस्टर किया गया एवं भू.अ.नि. स्वामीसेही/पटवारी हल्का अडूका को मौके पर नपती कर निर्धारित करने हेतु लिखा गया कि गैर सायल का निर्माण नपती के दौरान अतिक्रमण की श्रेणी में आता है या नहीं, अतः नपती कर स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। भू.अ.नि. स्वामीसेही एवं पटवारी हल्का अडूका द्वारा मौके पर जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जो दिनांक 11.07.2024 को न्यायालय में पेश किया गया। मुताबिक फर्द मौका उक्त रास्ते को पूर्व में ख.नं. 93 व 105 के सह खातेदार गुरूदयाल पुत्र सागर के द्वारा ग्राम लाखू की सीमा पर मकानात बनाकर बन्द कर रखा था जो प्रशासन के द्वारा मकान तोड़कर रास्ता खुलवाया गया, वर्तमान में उक्त रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है एवं रास्ता मौके पर चालू है, मौके की फोटोग्राफ भी फर्द मौका के साथ संलग्न की गई है। अतः पत्रावली में आगे कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण पत्रावली में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर)
तहसीलदार, सूरजगढ़